



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बिजनौर
108/11 आवास विकास कालोनी, बिजनौर -246701

सन्दर्भ सं० : 303/D-1/जनरल-2015

दिनांक : 13-5-2015

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी (शस्त्र)
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट,
बिजनौर।

विषय-मेसर्स एस्सार ऑयल लि० ए-5, सेक्टर-3, नोएडा को Village Azamgarh urf Ratangarh Tehsil Chandpur District Bijnor Amroha-Noorpur road के Khasra No. 147 में पेट्रोल/डीजल पम्प (रिटेल आउटलेट) लगाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक-1206/बीस आयुध सहायक दिनांक-28 अप्रैल, 2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जोकि इस कार्यालय में दिनांक-28.04.2015 को प्राप्त हुआ है। उक्त के अनुक्रम में प्रस्तावित स्थल की स्थलीय जाँच करायी गयी। निरीक्षण आख्या के अनुसार मेसर्स एस्सार ऑयल लि० ए-5, सेक्टर-3, नोएडा को Village Azamgarh urf Ratangarh Tehsil Chandpur District Bijnor Amroha-Noorpur road के Khasra No. 147 में पेट्रोल/डीजल पम्प (रिटेल आउटलेट) के 1×20 के०एल० (एम०एस०) तथा 1×30 के०एल० (एच०एस०डी०) टैंकों के भण्डारण हेतु 02 नं० टैंकों की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित स्थल के पूर्व दिशा में चकमार्ग तत्पश्चात् खेतिहर जमीनें, पश्चिम दिशा में स्वयं की भूमि तत्पश्चात् लगभग 100 मी० की दूरी पर ग्राम-रतनगढ़, उत्तर दिशा में स्वयं की भूमि तथा अन्य की खेतिहर जमीनें तथा दक्षिण दिशा में नूरपुर-अमरोहा मार्ग तत्पश्चात् बाग/आबादी स्थित है। पर्यावरणीय दृष्टिकोण से प्रस्तावित स्थल पर उपरोक्त क्षमता के अन्डरग्राउण्ड टैंकों की स्थापना निम्नलिखित शर्तों के अधीन संस्तुति की जाती है :-

- 1- इकाई द्वारा पेट्रोलियम टैंकों का भण्डारण प्रस्तावित स्थल के सन्निकट स्थित विद्युत लाइन से यथासंभव दूरस्थ तथा अग्निशमन विभाग के प्राविधानों के अनुरूप किया जाये।
- 2- पेट्रोल पम्प द्वारा बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम-1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम-1981 के अन्तर्गत सहमति प्राप्त की जाये।
- 3- प्रस्तावित 20 के०वी०ए का डी०जी सेट, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) नियम 1986 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं०-जी.एस.आर 371 (ई) दिनांक-17.05.02 व जी.एस.आर 448 (ई) दिनांक-12.07.04 के अनुसार एकाउस्टिक इन्क्लोजर तथा एग्जास्ट मफलर सहित स्थापित किया जाए।
- 4- इकाई पेट्रोलियम पदार्थों का भण्डारण एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट के मार्गदर्शिका के अनुसार करना सुनिश्चित करेगा तथा सुरक्षा में अग्निशमन के समस्त वांछित उपाय कराना सुनिश्चित करेगा।
- 5- आकस्मिक दुर्घटनाओं के बचाव हेतु आन साइट मैनेजमेंट प्लान तैयार कर इसका अनुमोदन संबंधित विभाग से कराकर इस कार्यालय में तीन माह में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगा।

भवदीय,

(ए०के०तिवारी)
क्षेत्रीय अधिकारी